

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-59/2018

गुरसाबसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जट सिख निवासी 3 बीआरडब्ल्यू बेहरवाला कला
तहसील टिब्बी।

-वादी

बनाम

1. मलकीतसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जट सिख निवासी 3 बीआरडब्ल्यू बेहरवाला कला
तहसील टिब्बी।
2. अमृतपालसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जट सिख निवासी 3 बीआरडब्ल्यू बेहरवाला
कलां तहसील टिब्बी।
3. अमनदीप कौर पुत्री मलकीतसिंह पत्नी गगनदीपसिंह जाति जट सिख निवासी
अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मनजीतकौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जट सिख निवासी 3 बीआरडब्ल्यू बेहरवाला कलां
तहसील टिब्बी।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष चन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
महावीर प्रसाद वर्मा मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी
जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 3

बीआरडब्ल्यू में दर्ज आराजी का राजीनामा में घरू बंटवारा निम्न प्रकार से है:-
(क)-गुरसाबसिंह को बंटवारा में प्राप्त आराजी-चक नं. 3 बीआरडब्ल्यू के प.नं. 234/318

मु.नं.64 कि.नं.1,10,11,प.नं.234/318 मु.नं.64 कि.नं.20 इस प्रकार कुल 1.012 है.
आराजी।

(ख)-प्रतिवादी संख्या 2 अमृतपालसिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त आराजी-चक नं. 3
बीआरडब्ल्यू के प.नं. 233/318 मु.नं. 63 कि.नं. 5,6,15,17 इस प्रकार कुल 1.012 है.
आराजी।

उपर्युक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त रकबा का पक्षकारान के नाम से अंकन किया जावे
तथा चक नं. 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 133/127 में से प्रतिवादी संख्या 1 का
हिस्सा कम व इसी चक के खाता संख्या 131/112 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम
कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से
अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 233:18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 233:18 को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी